न्यायालय:– नताशा शेख पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार जिला धार (म.प्र.)

–आपराधिक कार्यविभाजन आदेश दिनाँक 22.09.2025 में तृतीय संशोधन आदेश–

कमांक– ८३. /2026

धार, दिनांक : 07.01.2026

मैं नताशा शेख पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–15(2)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन आदेश क्रमांक–451 धार दिनॉक 22.09.2025, के पृष्ठ क्रमांक 3 के सरल क्रमांक–3 के कॉलम नंबर 2 से *"महिलाओं के विरूद्ध अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क.डी./394/III-6-6/84 दिनांक 09.01.14 के पालन में"* से संबंधित कॉलम नंबर 3 एवं 4 में स्थित समस्त प्रविष्टियों को विलोपित किया जाता है तथा पृष्ठ क्रमांक 6 के सरल क्रमांक–8 के कॉलम नंबर 3 से "माह अक्टूबर से दिसबंर तक" शब्द विलोपित किए जाते है, अर्थात् *"महिलाओं के विरूद्ध अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क.डी/394/III-6-6/84 दिनांक 09.01.14 के पालन में"* से संबंधित संपूर्ण तहसील धार के प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार श्रीमति मानसी सिंगोदिया आरोरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धार म0प्र0 को रहेगा। उक्त संशोधन दिनॉक 15.01.2026 से प्रभावशील रहेगा।

इसी प्रकार आपराधिक कार्यविभाजन आदेश क्रमांक–451 धार दिनॉक 22.09.2025, के पृष्ठ क्रमांक 9 के सरल क्रमांक–14 एवं 15 के कॉलम नंबर 2, 3 एवं 4 की समस्त प्रविष्टियों को विलोपित कर उनके स्थान पर निम्नानुसार प्रविष्टिया सारणी अनुसार, नवीन सरल क्रमांक–14, 15 एवं 15ए के रूप में, प्रतिस्थापित की जाती हैं:–

1	2	3	4
सरल क्रमांक	**न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम**	**स्थानीय क्षेत्र/आरक्षी केन्द्र**	**कार्य का विवरण**
14	श्री विवेक जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी	आरक्षी केन्द्र धरमपुरी	1–महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण, विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य आपराधिक प्रकरणं जिन्हें अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में विशेष रूप से आबंटित किया गया है, के अतिरिक्त दं.प्र.सं./भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं./भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत अपराधो से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2–उक्त थाना क्षेत्र के अन्य विधियों से उद्भुत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त अंतिम प्रतिवेदन। 3–विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही (अध्याय–9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर) ।

			4–उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त निजी परिवाद पत्र। 5–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।
			1–सम्पूर्ण तहसील के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले एन.डी.पी.एस. एक्ट के अल्पमात्रा वाले प्रकरण। 2–सम्पूर्ण तहसील के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित समस्त प्रकरण। 3–दुकान एवं संस्थान अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण । 4–म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद (मजिस्ट्रेट ट्रायल प्रकरण) 5–म.प्र. नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण। 6–औषध एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 से संबंधित प्रकरण। 7–अन्य ऐसे समस्त मामले जिनका उल्लेख आपराधिक कार्य विभाजन आदेश में नहीं है।
	कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के ज्ञापन कमांक–109/SW-Mstt./2025 धार दिनॉक 18.09.2025 के आलोक में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीवन अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु।	सम्पूर्ण तहसील धरमपुरी	1– संपूर्ण तहसील के जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम एवं वन्य जीवन अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।
15	श्रीमति अपेक्षा यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी महिलाओं के विरूद्ध अपराध संबंधी मामले सुनने हेतु माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क. डी/394/III-6-6/84 दिनांक 09.01.14 के पालन में।	तहसील धरमपुरी	1–सम्पूर्ण तहसील के थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (ग्राम न्यायालय के सुनवाई योग्य मामलों को छोड़कर)। 2– अध्याय 9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अन्य प्रकरण)। 3–सम्पूर्ण तहसील के थाना क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरूद्ध कारित हो सकने वाले अपराध से संबंधित प्रकरण (जिसमें अंतिम प्रतिवेदन, खात्मा प्रकरण, परिवाद व रिमाण्ड से संबंधित समस्त कार्यवाहियॉ भी शामिल होगी)।
15–ए	श्री श्रीकृष्ण बरार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी	आरक्षी केन्द्र धामनोद	1–महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण, विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय तथा अन्य आपराधिक प्रकरणं जिन्हें अन्य मजिस्ट्रेट

			के क्षेत्राधिकार में विशेष रूप से आबंटित किया गया है, के अतिरिक्त दं.प्र.सं./भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत सभी आपराधिक प्रकरण तथा दं.प्र.सं./भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत अपराधो से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। 2–उक्त थाना क्षेत्र के अन्य विधियों से उद्भुत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं समस्त अंतिम प्रतिवेदन। 3 विविध आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित कार्यवाही (अध्याय 9 दं.प्र.सं./अध्याय 10 भा.ना.सु.सं. में पेश प्रकरण को छोड़कर) । 4–उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त निजी परिवाद पत्र। 5–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।

इसी प्रकार उक्त कार्यविभाजन आदेश दिनॉक 22.09.2025 के पृष्ठ कमांक 20 के सरल कमांक 15 में कॉलम नंबर 3 में प्रविष्टि कमांक 1 "श्री श्रीकृष्ण बरार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी" के उपरांत प्रविष्टि कमांक 1ए के रूप में "श्रीमति अपेक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी" तथा पृष्ठ कमांक 20 के सरल कमांक 16 में कॉलम नंबर 3 में प्रविष्टि कमांक 1 "श्री विवेक जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी" के उपरांत प्रविष्टि कमांक 1ए के रूप में "श्रीमति अपेक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी" समाविष्ट किया जाता है।

इसी प्रकार उक्त कार्यविभाजन आदेश दिनॉक 22.09.2025 के पृष्ठ कमांक 23 में "जिला मुख्यालय धार पर महिलाओं के विरूद्ध कारित हो सकने वाले अपराध में धारा 164 द0प्र0सं0/183 भा0ना0सु0सं0 के कथन हेतु प्रभार" से संबंधित के सरल कमांक 3 में कॉलम नंबर 3 के प्रविष्टि कमांक 1, सरल कमांक 4 में कॉलम नंबर 3 की प्रविष्टि कमांक 5 तथा सरल कमांक 5 में कॉलम नंबर 3 की प्रविष्टि कमांक–1 में "श्रीमति मानसी सिंगोदिया आरोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार" के स्थान पर "श्रीमति बार्बी जुनेजा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धार" प्रतिस्थापित किया जाता है।

इसी प्रकार उक्त कार्यविभाजन आदेश दिनॉक 22.09.2025 के पृष्ठ कमांक 23 में "तहसील मुख्यालय धारा 164 द0प्र0सं0/183 भा0ना0सु0सं0 के कथन हेतु प्रभार" से संबंधित के सरल कमांक 1 में कॉलम नंबर 3 के प्रविष्टि कमांक 1 में "श्री विवेक जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी" के स्थान पर "श्री श्रीकृष्ण बरार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी" प्रतिस्थापित किया जाता है तथा पृष्ठ कमांक–24 में सरल कमांक 2 में कॉलम नंबर 3 के प्रविष्टि कमांक 1 में "श्री श्रीकृष्ण बरार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी" के स्थान पर "श्री विवेक जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी" प्रतिस्थापित किया जाता है।

इसी प्रकार उक्त कार्यविभाजन आदेश दिनॉक 22.09.2025 के पृष्ठ कमांक 24 में "तहसील मुख्यालय धारा 164 द0प्र0सं0/183 भा0ना0सु0सं0 के कथन हेतु प्रभार" से संबंधित

सरल क्रमांक 1 व 2 में कॉलम नंबर 3 में क्रमशः प्रविष्टि क्रमांक 1ए के रूप में "श्रीमति अपेक्षा यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी" का नाम समाविष्ट किया जाता है तथा (महिलाओं से संबंधित अपराध के धारा 164 द0प्र0सं0 / 183 भा0ना0सु0सं0 के कथन) से संबंधित सरल क्रमांक–3 में कॉलम नंबर–3 में प्रविष्टि क्रमांक–1ए के रूप में "श्री श्रीकृष्ण बरार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमपुरी" का नाम समाविष्ट किया जाता है।

उक्त समस्त संशोधन आगामी अन्य आदेश होने तक निरंतर प्रभावशील रहेगें।

07.1.2026

(नताशा शेख पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धार जिला धार (म.प्र.)

धार, दिनांक–07.01.2026

पृष्ठांकन क्रमांक 10.. / 2026

प्रतिलिपि :–

1– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, धार की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– श्रीमान प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, धार की ओर सूचनार्थ।
3– श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय, न्यायालय, धार को सूचनार्थ।
4– श्रीमान् प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार / सरदारपुर / बदनावर / धरमपुरी / मनावर / कुक्षी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम / द्वितीय श्रेणी, धार / सरदारपुर / बदनावर / धरमपुरी / मनावर / कुक्षी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6– अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, धार / सरदारपुर / बदनावर / धरमपुरी / मनावर / कुक्षी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

07.01.2026

(नताशा शेख पटेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धार जिला धार (म.प्र.)